



## \*प्रेसनोट / सराहनीय कार्य\*

**\*(पत्रांक-253/2022 दिनांक 11.09.2022)\***

**\*दिनांक- 11.09.2022 को 11-September-2022जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-\***

**\*अवैध शराब बिक्री/परिवहन/निष्कर्षण के विरुद्ध कार्यवाही- (कुल-01)\***

**\*थाना तमकुहीराज-\***

थाना तमकुहीराज पुलिस टीम द्वारा एक नफर अभियुक्त सुनील कुमार पुत्र दुर्गा प्रसाद साकिन मसरख थाना मसरख जनपद छपरा बिहार को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल कुल 30 अदद फ्रूटी अंग्रेजी शराब बरामद कर अन्तर्गत मु0अ0सं0-91/2022 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

**\*वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(05)\***

**\*गौ-तस्करी में संलिप्त 25000/- रुपये का अंतर्जनपदीय इनामियां अभियुक्त 31 किग्रा0 अवैध गांजा व एक अदद मोटर साईकिल (कीमत लगभग 340000/- रु0) के साथ किया गया गिरफ्तार-\***

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री रितेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तमकुहीराज श्री जितेन्द्र सिंह कालरा के नेतृत्व में अवैध मादक/द्रव्य पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 11.09.2022 को थाना तमकुहीराज पुलिस द्वारा सरया खुर्द के पास से एक अदद मोटर साईकिल बिना नम्बर प्लेट की एच0 एफ0 डिलक्स व 31 किग्रा0 अवैध गांजा (कीमत लगभग 340000/- रु0) के साथ अंतर्जनपदीय इनामियां अभियुक्त इरशाद उर्फ लाली पुत्र अजीमुल्लाह सा0 लतवा मुर्लीधर थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि अभियुक्त उपरोक्त के ऊपर जनपद कुशीनगर, गोरखपुर व वस्ती में गौ-तस्करी व अन्य मामलों में दर्जनों मुकदमें दर्ज हैं जिसकी छानबीन की जा रही है। इसकी गिरफ्तारी हेतु श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर द्वारा 25,000/- रुपये का पुरस्कार भी घोषित किया गया था। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0सं0 92/22 धारा 8/20 NDPS ACT में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**\*गिरफ्तार अभियुक्त-\***

1. इरशाद उर्फ लाली पुत्र अजीमुल्लाह सा0 लतवा मुर्लीधर थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर

**\*अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-\***

1.50/22 धारा 323/325/452/504/506 भादवि0 थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर

2.55/22 धारा 3/5ए/5बी/8 गो0 निवा0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना तमकुहीराज जनपद कुशीगर

3.87/22 धारा 3/5ए/5बी/8 गो0 निवा0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना तमकुहीराज जनपद



कुशीगर

4.89/22 धारा 3/5ए/5बी/8 गो0 निवा0 अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0 व 419/420468/471 भादवि0 थाना तमकुहीराज कुशीगर

5.मु0अ0स0 301/19 धारा 147/148/323/336/504/506 भादवि0 थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर

6.489/17 धारा 363/366 भादवि0 थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर

7.255/19 धारा 3/5ए/8 गो0नि0अधि0 थाना कल्वारी जनपद बस्ती

8.138/21 धारा 174 ए भादवि0 थाना कल्वारी जनपद बस्ती

9.274/21 धारा 307/419/420443 भादवि0 थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर

**\*बरामदगी का विवरण:—(कुल कीमत लगभग 340,000/- रु0)\***

1. 31 किग्रा0 अवैध गांजा ।

2. एक अदद मोटर साईकिल बिना नम्बर प्लेट की एच0एफ0 डीलक्स

**\*गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम-\***

1.प्र0नि0 अश्वनी कुमार राय थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर

2.नि0 विनय कुमार सिंह थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर

3.उ0नि0 राजकुमार बरवार थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर

4.उ0नि0 बादशाह सिंह थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर

5.हे0का0 उमेश यादव थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर

6.हे0का0 अमित चौधरी थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर

7.का0 रविकान्त थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर

8.का0 मानवेन्द्र चौधरी थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर

**\*गौ-तस्करी में संलिप्त 25000/- रुपये का अंतर्जनपदीय इनामियां अभियुक्त 3.400 किग्रा0 अवैध चरस, एक अदद अवैध तमन्चा व एक अदद मोटर साईकिल (कीमत लगभग 850000/- रु0) के साथ किया गया गिरफ्तार-\***

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक श्री रितेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर श्री कुन्दन सिंह के नेतृत्व में अवैध मादक/द्रव्य पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 11.09.2022 को थाना तुर्कपट्टी पुलिस द्वारा धुनवलिया पुल के पास से एक अभियुक्त समीर आलम उर्फ भोलू पुत्र मन्नान साकिन बसडीला पाण्डेय थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक अदद अवैध तमन्चा 315 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर, एक मोटरसाईकिल हीरो स्पेलडर UP41X9686 व 03.400 किग्रा0 अवैध चरस (कीमत लगभग 850000/- रु0) की बरामदगी की गयी।

उल्लेखनीय है कि अभियुक्त उपरोक्त के ऊपर जनपद कुशीनगर, गोरखपुर में गौ-तस्करी व अन्य मामलों में कई मुकदमें दर्ज हैं जिसकी छानबिन की जा रही है। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर द्वारा 25,000/- रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0सं0 301/22 धारा 8/22 NDPS ACT व मु0अ0सं0 302/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**\*गिरफ्तार अभियुक्त-\***

समीर आलम उर्फ भोलू पुत्र मन्नान साकिन बसडीला पाण्डेय थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर



### **\*अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-\***

- 1.मु0अ0सं0 49/22 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर
- 2.मु0अ0सं0 55/22 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर
- 3.मु0अ0सं0 405/22 धारा 307,34 भादवि0 व 7 आपराधिक कानून(संशोधन) अधि0 1932 थाना चौरीचौरा जनपद गोरखपुर
- 4.मु0अ0सं0 309/22 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना गीडा जनपद गोरखपुर

### **\*बरामदगी का विवरण:—\***

1. अभियुक्त के कब्जे से **3 किलो 400 ग्राम** अवैध चरस (कीमत लगभग 8,50000/- रु0)
2. एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर
3. एक अदद मोटरसाइकिल हीरो होण्डा स्प्लेण्डर प्लस UP41X9686

### **\*गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम-\***

- 1.प्र0नि0 श्री आशुतोष सिंह थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर
- 2.उ0नि0 श्री रामकुमार आत्रेय थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर
- 3.का0 विजय बहादुर सिंह थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर
- 4.का0 अभिषेक यादव थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर
- 5.का0 अनुराग सिंह थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर
- 6.का0 अनिल यादव थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर

**\*थाना हनुमानगंज पुलिस द्वारा 02 किग्रा0 अवैध गांजा (कीमत लगभग 20,000/- रु0) के साथ एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-\***

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में अवैध मादक/द्रव्य पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 11.09.2022 को थाना हनुमानगंज पुलिस टीम द्वारा नरकहवा मंझरिया मोड़ के पास से मुखबिर की सूचना पर 02 किग्रा0 अवैध गांजा कीमत लगभग 20,000/- रुपये के साथ अभियुक्त 1. नथुनी पुत्र मोहम्मद निवासी डोमनपट्टी थाना खड्डा जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 167/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### **\*गिरफ्तार अभियुक्त-\***

नथुनी पुत्र मोहम्मद उम्र करीब 50 वर्ष निवासी डोमनपट्टी थाना खड्डा जनपद कुशीनगर

### **\*बरामदगी का विवरण-\***

1. एक प्लास्टिक के झोले में **02 किग्रा0 अवैध गांजा (कीमत लगभग 20,000/- रु0)**

## **\*गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-\***

1. प्र०नि० रामसहाय चौहान थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर
2. का० उमाशंकर यादव थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर
3. का० विवेकानन्द पटेल थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर
4. का० अमित यादव थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर
5. का० यशवंत यादव थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर
6. का० मनोज कुमार सिंह थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर

**\*थाना नेबुआ नौरंगिया पुलिस द्वारा गोवध के मुकदमें में वांछित अभियुक्त 1 किलो 400 ग्राम गांजा (कीमत लगभग 14,000/-रु०) के साथ किया गया गिरफ्तार-\***

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री रितेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी खड्डा श्री संदीप वर्मा के नेतृत्व में अवैध मादक/द्रव्य पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 11.09.2022 को थाना नेबुआ नौरंगिया पुलिस द्वारा पिपरा बलकुडिया रोड रामनगर मिश्रौली के पास से मु०अ०सं०124/22 धारा 3/5/8 गोबध निवारण अधिनियम में वांछित अभियुक्त मुन्ना उर्फ आलमीन s/o मजीद सा० रामनगर मिश्रौली थाना ने०नौ० जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 1 किग्रा० 400 ग्राम अवैध गांजा(कीमत लगभग 14,000/-रु०) की बरामदगी की गयी । बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु०अ०सं० 323/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

**\*गिरफ्तार अभियुक्त-\***

मुन्ना उर्फ आलमीन s/o मजीद सा० रामनगर मिश्रौली थाना ने०नौ० जनपद कुशीनगर

**\*बरामदगी का विवरण-\***

1 किलो 400ग्राम गांजा कीमत लगभग 14,000 हजार रूपये

**\*अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-\***

1. मु०अ०सं०124/22 धारा 3/5/8 गोबध निवारण अधिनियम
2. मु०अ०सं० 323/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट

**\*गिरफ्तार करने वाली टीम-\***

1. उ०नि० दीपक सिंह थाना ने०नौ० जनपद कुशीनगर
2. हे०का० रियाज खान थाना ने०नौ० जनपद कुशीनगर
3. का० इन्द्रेश चौहान थाना ने०नौ० जनपद कुशीनगर

**\*थाना खड्डा पुलिस द्वारा 01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-\***

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 11.09.2022 को थाना खड्डा पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 205/22 धारा 376(1),504/506 भादवि० से

सम्बंधित 01 नफर वांछित अभियुक्त 1.सिकन्दर उर्फ वाकेश यादव पुत्र रामदेव यादव सा0 खेमन छपरा थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**\*गिरफ्तार अभियुक्त-\***

1.सिकन्दर उर्फ वाकेश यादव पुत्र रामदेव यादव सा0 खेमन छपरा थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर

**\*गिरफ्तार करने वाली टीम-\***

- 1.उ0नि0 मनोज द्विवेदी थाना खड्डा जनपद कुशीनगर
- 2.का0 बृजेश यादव थाना खड्डा जनपद कुशीनगर
- 3.का0 कुमार शानू यादव थाना खड्डा जनपद कुशीनगर

**\*जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-\***

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 39 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

**\*कार्यवाही एक नजर में =\***

- 1.मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-0, ई-चालान-18 वाहन।
- 2.107/116 में की गयी कार्यवाही-मु0-48, व्यक्ति-186
- 3.वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी- (कुल-05)
- 4.आबकारी अधि0 में की गयी कार्यवाही मु0-01, अभि0-01, बरामदगी-30 अदद फ्रूटी अंग्रेजी शराब
- 5.जनपद में कुल गिरफ्तारी-(कुल-45)

**\*सोशल मीडिया सेल\***  
**\*जनपद कुशीनगर\***

